



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-31082026-275882
CG-MH-E-31082026-275882

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948

No. 519]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

भारतीय रिजर्व बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 25 अगस्त 2026

भुगतान विनियामक बोर्ड (संशोधन) विनियम, 2025

फा.सं. केका.डीपीएसएस.बीडी. सं. S496/02-01-019/2026-2027.— भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (1) के साथ पठित उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान विनियामक बोर्ड विनियम, 2025 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् –

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

- ये विनियम “भुगतान विनियामक बोर्ड (संशोधन) विनियम, 2025” कहलाएंगे।
- ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भुगतान विनियामक बोर्ड विनियम, 2025 में संशोधन

भुगतान विनियामक बोर्ड विनियम, 2025 में,

- (i) विनियम 4, उप-विनियम (1) को हटा दिया जाएगा; तथा
- (ii) विनियम 7 को हटा दिया जाएगा।

सौरभ नाथ, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./288/2026-27]

नोट: भुगतान विनियामक बोर्ड विनियम, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 20 मई 2025 की अधिसूचना संख्या केका.डीपीएसएस.बीडी.सं.एस168/02-01-012/2025-2026 के तहत प्रकाशित किया गया था।

RESERVE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th August 2026

Payments Regulatory Board (Amendment) Regulations, 2025

F. No. CO. DPSS. BD. No. S496/ 02-01-019/2026-2027 .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) of sub-section (2) of Section 38 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendment to the Payments Regulatory Board Regulations, 2025 namely –

1. Short Title & Commencement

- (i) These Regulations may be called the “Payments Regulatory Board (Amendment) Regulations, 2025”.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendments to the Payments Regulatory Board Regulations, 2025

In the Payments Regulatory Board Regulations, 2025,

- (i) In Regulation 4, sub-regulation (1) shall be omitted; and
- (ii) Regulation 7 shall be omitted.

SAURABH NATH, Chief General Manager.

[ADVT.-III/4/Exty./288/2026-27]

Note : The Payments Regulatory Board Regulations, 2025 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* Notification No. CO.DPSS.BD.No.S168 /02-01-012/2025-2026 dated 20th May, 2025.